न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण कमांक अपील 1661–दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 9/2005–06/अपील.

———

शत्रुघन सिंह पुत्र श्री ऊदलसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम बझाई तहसील व
जिला भिण्ड म.प्र. ——— अपीलांट

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——— रिस्पोंडेंट

———

श्री एस. के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक ।
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06 जुलाई 2015 को पारित)

.....

यह अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 9/2005–06/अपील में पारित आदेश दिनांक 16–6–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम बझाई स्थित विवादित शासकीय भूमि खसरा कमांक 1507 रकबा 0.063 जिसकी नोइयत तालाब है को काबिल काश्त घोषित किए जाने बावत एक आवेदन पेश किया । जो कलेक्टर, भिण्ड ने आदेश दिनांक 4–8–2005 द्वारा निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधिसम्मत नहीं है । प्रकरण में ग्राम सभा एवं

ग्राम पंचायत तथा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि काबिल काश्त घोषित किए जाने की अनुशंसा की गई है । कलेक्टर ने मात्र एक व्यक्ति के आवेदन के आधार पर आवेदन को निरस्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । अतः अपील निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण तालाब की भूमि को काबिल काश्त घोषित किए जाने के संबंध में संहिता की धारा 237 के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रारंभ हुआ है । कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण में जांच के बाद यह पाया गया कि संवत 2005 से लेकर 2060 तक नौइयत तालाब की दर्ज है और वर्तमान में पशुओं के लिए जल की भयानक समस्त है । उक्त स्थिति को देखते हुए शासन ने गांव और शहरों में जहां – जहां तलाब हैं गहरीकरण करके तालब को मूर्त रूप देने का प्रावधान किया है । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत है कि संहिता की धारा 237 मेंऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोकहित में जन सामान्य के रूप में प्रयोग की जाने वाली भूमि की नोईइत परिवर्तन व्यक्तिगत लाभ के लिए की जाये । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है अपर आयुक्त का आदेश सुसंगत आधारों पर होकर पुष्टि योग्य है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर